Impact Factor : 5.751

ISSN : 2395 -728X

Shiksha Shodh Manthan

A Half Yearly International Peer-Reviewed Journal of Education

Vol.8, No.1, April 2022

Shiksha Shodh Manthan

A Half Yearly International Peer-Reviewed Journal of Education

माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं की मानव अधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन

डॉ॰ प्रदीप कुमार तिवारी[*] एवं सोमेश शर्मा[**]

[*]सहायक प्रोफेसर, आइएफटीएम विश्वविद्यालय, मुरादाबाद

[**]शोधार्थी आइएफटीएम विश्वविद्यालय, मुरादाबाद

सारांश

मानवाधिकार मानव व्यवहार के कुछ मानकों के लिए नैतिक सिद्धांत या मानदंड हैं और नियमित रूप से नगरपालिका और अंतर्राष्ट्रीय कानून में संरक्षित हैं। उन्हें आमतौर पर अक्षम्य, मौलिक अधिकारों के रूप में समझा जाता है "जिसके लिए एक व्यक्ति स्वाभाविक रूप से सिर्फ इसलिए हकदार है क्योंकि वह एक इंसान है" और जो "सभी मनुष्यों में निहित" हैं, उनकी उम्र, जातीय मूल, स्थान, भाषा, धर्म, जातीयता, या किसी अन्य स्थिति की परवाह किए बिना। वे सार्वभौमिक होने के अर्थ में हर जगह और हर समय लागू होते हैं, और वे हैं सभी के लिए समान होने के अर्थ में समतावादी। उन्हें सहानुभूति और कानून के शासन की आवश्यकता के रूप में माना जाता है और दूसरों के मानवाधिकारों का सम्मान करने के लिए व्यक्तियों पर दायित्व लागू करते हैं, और आम तौर पर यह माना जाता है कि विशिष्ट प्रक्रिया के आधार पर उचित प्रक्रिया के परिणामस्वरूप उन्हें दूर नहीं किया जाना चाहिए। प्रस्तुत शोध में निम्नलिखित परिकल्पनायें प्रस्तुत के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त किये है–माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं की मानव अधिकार के प्रति जागरूकता में क्षेत्रीय आधार पर सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं की मानव अधिकार के प्रति जागरूकता में संकाय आधार पर सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं की मानव अधिकार के प्रति जागरूकता में विद्यालय की स्थिति के आधार पर सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

संकेत शब्द :– *माध्यमिक स्तर, बालिकाएं, मानव अधिकार ।*

प्रस्तावना :–

मानवाधिकार मानव व्यवहार के कुछ मानकों के लिए नैतिक सिद्धांत या मानदंड हैं और नियमित रूप से नगरपालिका और अंतर्राष्ट्रीय कानून में संरक्षित हैं। उन्हें आमतौर पर अक्षम्य, मौलिक अधिकारों के रूप में समझा जाता है "जिसके लिए एक व्यक्ति स्वाभाविक रूप से सिर्फ इसलिए हकदार है क्योंकि वह एक इंसान है" और जो "सभी मनुष्यों में निहित" हैं, उनकी उम्र, जातीय मूल, स्थान, भाषा, धर्म, जातीयता, या किसी अन्य स्थिति की परवाह किए बिना। वे सार्वभौमिक होने के अर्थ में हर जगह और हर समय लागू होते हैं, और वे हैं सभी के लिए समान होने के अर्थ में समतावादी। उन्हें सहानुभूति और कानून के शासन की आवश्यकता के रूप में माना जाता है और दूसरों के मानवाधिकारों का सम्मान करने के लिए व्यक्तियों पर दायित्व लागू करते हैं, और आम तौर पर यह माना जाता है कि विशिष्ट प्रक्रिया के आधार पर उचित प्रक्रिया के परिणामस्वरूप उन्हें दूर नहीं किया जाना चाहिए। परिस्थितियां।

मैग्ना कार्टा या "ग्रेट चार्टर" दुनिया के पहले दस्तावेजों में से एक था जिसमें कुछ कानूनी अधिकारों का सम्मान करने के लिए एक संप्रभु द्वारा अपने लोगों के प्रति प्रतिबद्धता शामिल थी। मानव अधिकारों का सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय कानून और वैश्विक और क्षेत्रीय संस्थानों के भीतर अत्यधिक प्रभावशाली रहा है। राज्यों और गैर–सरकारी संगठनों की कार्रवाइयां दुनिया भर में सार्वजनिक नीति का

आधार बनती हैं। मानवाधिकारों के विचार से पता चलता है कि "यदि शांतिकाल के वैश्विक समाज के सार्वजनिक प्रवचन को एक सामान्य नैतिक भाषा कहा जा सकता है, तो यह मानव अधिकारों की भाषा है"। मानवाधिकारों के सिद्धांत द्वारा किए गए मजबूत दावे आज भी मानव अधिकारों की सामग्री, प्रकृति और औचित्य के बारे में काफी संदेह और बहस को भड़काते हैं। अधिकार शब्द का सटीक अर्थ विवादास्पद है और मानवाधिकारों के विचार से पता चलता है कि "यदि शांतिकाल के वैश्विक समाज के सार्वजनिक प्रवचन को एक सामान्य नैतिक भाषा कहा जा सकता है, तो यह मानव अधिकारों की भाषा है"। मानवाधिकारों के सिद्धांत द्वारा किए गए मजबूत दावे आज भी मानव अधिकारों की सामग्री, प्रकृति और औचित्य के बारे में काफी संदेह और बहस को भड़काते हैं। अधिकार शब्द का सटीक अर्थ विवादास्पद है और निरंतर दार्शनिक बहस का विषय है; जबकि इस बात पर आम सहमति है कि मानवाधिकारों में कई तरह के अधिकार शामिल हैं जैसे निष्पक्ष परीक्षण का अधिकार, दासता के खिलाफ सुरक्षा, नरसंहार का निषेध, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (9) या शिक्षा का अधिकार, इनमें से किस विशेष अधिकार के बारे में असहमति है मानवाधिकारों के सामान्य ढांचे के भीतर शामिल किया जाना चाहिए; कुछ विचारकों का सुझाव है कि सबसे खराब स्थिति के दुरुपयोग से बचने के लिए मानवाधिकारों को न्यूनतम आवश्यकता होनी चाहिए, जबकि अन्य इसे एक उच्च मानक के रूप में देखते हैं।

प्राचीन लोगों ने सार्वभौमिक मानवाधिकारों के बारे में उसी तरह नहीं सोचा जैसा आज हम सोचते हैं। मानव–अधिकार प्रवचन का सच्चा अग्रदूत प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा थी जो मध्ययुगीन प्राकृतिक कानून परंपरा के हिस्से के रूप में प्रकट हुई जो यूरोपीय ज्ञान के दौरान प्रमुख हो गई। इस नींव से, 20वीं सदी के उत्तरार्ध में आधुनिक मानवाधिकार तर्क उभर कर सामने आए। 17वीं सदी के अंग्रेजी दार्शनिक जॉन लोके ने अपने काम में प्राकृतिक अधिकारों पर चर्चा की, उन्हें "जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति (संपत्ति)" के रूप में पहचाना, और तर्क दिया कि इस तरह के मौलिक अधिकारों को सामाजिक अनुबंध में आत्मसमर्पण नहीं किया जा सकता है। ब्रिटेन में 1689 में, अधिकार के अंग्रेजी विधेयक और अधिकार के स्कॉटिश दावे ने कई दमनकारी सरकारी कार्रवाइयों को अवैध बना दिया। 18वीं शताब्दी के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका (1776) और फ़्रांस (1789) में दो प्रमुख क्रांतियां हुईं, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा और क्रमशः मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की फ्रांसीसी घोषणा हुई, जिसमें दोनों को व्यक्त किया गया। कुछ मानवाधिकार। इसके अतिरिक्त,1776 के वर्जीनिया डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ने कई मौलिक नागरिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं को कानून में कूटबद्ध किया।थॉमस पेन, जॉन स्टुअर्ट मिल और हेगेल जैसे दार्शनिकों ने 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान सार्वभौमिकता के विषय पर विस्तार किया। 1831 में विलियम लॉयड गैरीसन ने द लिबरेटर नामक एक समाचार पत्र में लिखा था कि वह अपने पाठकों को "मानवाधिकारों के महान कारण" (14) में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मानव अधिकार शब्द शायद पाइन के द राइट्स ऑफ मैन और गैरीसन के बीच किसी समय उपयोग में आया। प्रकाशन। 1849 में एक समकालीन, हेनरी डेविड थोरो ने अपने ग्रंथ ऑन द ड्यूटी ऑफ सविनय अवज्ञा में मानवाधिकारों के बारे में लिखा, जो बाद में मानव अधिकारों और नागरिक अधिकार विचारकों पर प्रभावशाली था। संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति डेविड डेविस ने एक्स पार्ट मिलिगन के लिए अपने 1867 की राय में लिखा, "कानून के संरक्षण से, मानवाधिकार सुरक्षित हैं; उस सुरक्षा को वापस ले लें और वे दुष्ट शासकों की दया या उत्साहित लोगों के कोलाहल पर हैं।

आवश्यकता एवं महत्व :–

राष्ट्र संघ की स्थापना 1919 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वर्साय की संधि पर वार्ता में हुई थी। लीग के लक्ष्यों में निरस्त्रीकरण, सामूहिक सुरक्षा के माध्यम से युद्ध को रोकना, देशों के बीच विवादों को बातचीत, कूटनीति और वैश्विक कल्याण में सुधार करना शामिल था। इसके चार्टर में निहित कई अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए एक जनादेश था जिसे बाद में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक

घोषणा में शामिल किया गया था। राष्ट्र संघ के पास उपनिवेश से स्वतंत्र राज्य में संक्रमण के दौरान पश्चिमी यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के कई पूर्व उपनिवेशों का समर्थन करने का जनादेश था। राष्ट्र संघ की एक एजेंसी के रूप में स्थापित, और अब संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को भी बाद में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यूडीएचआर) में शामिल कुछ अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने का जनादेश मिलाः आज प्स्ब् का प्राथमिक लक्ष्य महिलाओं और पुरुषों के लिए स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा और मानवीय गरिमा की स्थिति में सभ्य और उत्पादक कार्य प्राप्त करने के अवसरों को बढ़ावा देना है।किसी भी छात्रा के सर्वागीण विकास हेतु मानव अधिकार की जानकारी होना बहुत जरूरी है क्योंकि मानव अधिकार एक व्यक्ति को तथा उसके जीवन को गति प्रदान करता है मनुष्य के अस्तित्व एवं सुरक्षा के लिए किसी भी देश में मानव अधिकारों का होना बहुत जरूरी है। हमारा कर्तव्य है कि हम प्राथमिक स्तर से बालक एवं बालिकाओं को मानव अधिकारों से परिचित कराये जब तक छात्र एव छात्राए सम्पूर्ण समाज को मानवीय अधिकारों का ज्ञान नहीं होगा तब तक उनका शोषण होता रहेगा। अतः एक आदर्श जीवन जीने हेतु एक व्यक्ति को मानव अधिकारों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अतः शोध के माध्यम से ऊधम सिंह नगर में अध्ययन करने वाली छात्राओं के मानव अधिकार के प्रति जागरूकता को जानने का प्रयास किया जायेगा।

समस्या कथन :–

"माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं की मानव अधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन"

शोध विधि :–

वर्तमान शोध हेतु सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

उपकरणः–

प्रस्तुत शोध हेतु डॉ॰ विशाल सूद एवं डॉ॰ आरती आनन्द द्वारा निर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है।

न्यादर्श :–

प्रस्तुत शोध हेतु माध्यमिक स्तर के 100 बालिकाओं का चयन किया गया है।

शोध के उद्देश्य :–

- माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं की मानव अधिकार के प्रति जागरूकता का क्षेत्रीय आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करना।
- माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं की मानव अधिकार के प्रति जागरूकता का संकाय आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करना।
- माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं की मानव अधिकार के प्रति जागरूकता का विद्यालय की स्थिति के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध की मुख्य परिकल्पनाएं :–

- माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं की मानव अधिकार के प्रति जागरूकता में क्षेत्रीय आधार पर सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता।
- माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं की मानव अधिकार के प्रति जागरूकता में संकाय आधार पर सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता।
- माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं की मानव अधिकार के प्रति जागरूकता में विद्यालय की स्थिति के आधार पर सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता।

परिकल्पनाओं का विश्लेषण एवं व्याख्या :–

परिकल्पना क्रमांक 1–

माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं की मानव अधिकार के प्रति जागरूकता का मध्यमान, मानवविचलन, व टी0 मूल्य का विश्लेषण एवं व्याख्या

सारणी संख्या–1

छात्राएं	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	स्वतन्त्रांश संख्या	सी॰आर॰
ग्रामीण	50	51.48	8.95	98	1.08
शहरी	50	52.25	9.55		

व्याख्या :–

तालिका संख्या 1 में माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं की मानव अधिकार के प्रति जागरूकता को दर्शाया गया है। तालिका से प्राप्त ग्रामीण छात्राओं का मानव अधिकार के प्रति जागरूकता का मध्यमान व मानक विचलन 51.48 (8.95) तथा शहरी छात्राओं का मानव अधिकार के प्रति जागरूकता का मध्यमान व मानक विचलन 52.25 (9.55) प्राप्त हुआ। प्राप्त क्रान्तिक अनुपात के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि दोनों समूहो के मध्य सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

परिकल्पना क्रमांक 2–

माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं की मानव अधिकार के प्रति जागरूकता का मध्यमान, मानवविचलन, व टी0 मूल्य का विश्लेषण एवं व्याख्या

सारणी संख्या–2

छात्राएं	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	स्वतन्त्रांश संख्या	सी॰आर॰
कला	50	58.50	11.54	98	1.49
विज्ञान	50	65.45	9.35		

व्याख्या :–

तालिका संख्या 2 में माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं की मानव अधिकार के प्रति जागरूकता को दर्शाया गया है। तालिका से प्राप्त कला वर्ग की छात्राओं का मानव अधिकार के प्रति जागरूकता का मध्यमान व मानक विचलन 58.50 (11.54) तथा विज्ञान वर्ग की छात्राओं का मानव अधिकार के प्रति जागरूकता का मध्यमान व मानक विचलन 65.45 (9.35) प्राप्त हुआ। प्राप्त क्रान्तिक अनुपात के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि दोनों समूहो के मध्य सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

परिकल्पना क्रमांक 3–

माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं की मानव अधिकार के प्रति जागरूकता का मध्यमान, मानवविचलन, व टी0 मूल्य का विश्लेषण एवं व्याख्या

सारणी संख्या–3

छात्राएं	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	स्वतन्त्रांश संख्या	सी॰आर॰
सरकारी विद्यालय	50	62.00	10.85	98	1.61
गैर सरकारी विद्यालय	50	68.80	12.80		

व्याख्या :–

तालिका संख्या 4.3 में माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं की मानव अधिकार के प्रति जागरूकता को दर्शाया गया है। तालिका से प्राप्त सरकारी विद्यालया की छात्राओं का मानव अधिकार के प्रति जागरूकता का मध्यमान व मानक विचलन 62.00 (10.85) तथा गैर सरकारी विद्यालयों की छात्राओं का मानव अधिकार के प्रति जागरूकता का मध्यमान व मानक विचलन 68.80

(12.80) प्राप्त हुआ। प्राप्त क्रान्तिक अनुपात के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि दोनों समूहो के मध्य सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

शोध के निष्कर्ष :–

- माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं की मानव अधिकार के
- प्रति जागरूकता में क्षेत्रीय आधार पर सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।
- माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं की मानव अधिकार के प्रति जागरूकता में संकाय आधार पर सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।
- माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं की मानव अधिकार के प्रति जागरूकता में विद्यालय की स्थिति के आधार पर सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :–

गुप्ता एस0 पी0 और अलका (2008).उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।

लाल, रमन बिहारी (2004). शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्वान्त रस्तौगी पब्लिकेशन, मेरठ।

पाठक, पी0 डी0 (2006–07भारतीय शिक्षा और समस्याएँ, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।

पाण्डेय, के0 पी0, (2003). शैक्षिक अनुसंधान की रूपरेखा, अमित प्रकाशन, मेरठ।

सिहँ, अरूण कुमार (2006). मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली।

तरूण हरिवंश (2000). भारतीय शिक्षा तथा विश्व की शिक्षा प्रणालियाँ, नई दिल्ली।

ढौंढ़ियाल, एस0 एन0 एवं पाठक, ए0 वी0(2003). शैक्षिक अनुसंधान का विधिशास्त्र, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।

गैरिट, हैनरी ई0 एवं बुडवर्थ आर0 (2007). शिक्षा और मनोविज्ञान में सांख्यिकीय के सांख्यिकीय प्रयोग, कल्याणी पब्लिशर्स लुधियाना पेज – 247।

****